तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मंगजा - बाबूलाल 105/16	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.9.22	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जायें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 30.11.22 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।	
30.11.22	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूव आज्ञानसार दिनांक 8.12.22 को पेश हो	
8.12.22	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूव आज्ञानसार दिनांक 9.1.23 को पेश हो	
9.1.23	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांट में रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये है इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नही है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय रे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झनूं)	